


योजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट-पय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी० 9.40 से किमी० 16.40 तक चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावतन।

### एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06-01-2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी..... V
2. हरियाली का घनत्व..... 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०..... 1005210/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 4.335 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि..... 43,57,585.35 या 43,57,585/-

  
प्रभूप्रीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।